

RH

राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में, बनें आप भी भागीदार...

गौरव पथ, वैशाली नगर जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी,
अजमेर में 732.33 वर्ग मी. क्षेत्रफल की

बैंक भवन परिसर
का क्षेत्रफल

732.33 वर्ग मी.

निर्मित क्षेत्रफल

तलघर-800 वर्ग फीट @ 74.349 वर्ग मी.

मूलत-1319 वर्ग फीट @ 122.583 वर्ग मी.

प्रथमतल-860 वर्ग फीट @ 79.925 वर्ग मी.

भव्य नीलामी

आयकृत लीज राशि प्रतिवर्ष

₹9,25,299/-

(अक्षरे रुपये नौ लाख पचास हजार दो सौ निन्यान्वे मात्र)

न्यूनतम विक्रय
मूल्य

₹4,00,00,000/-

(अक्षरे रुपये चार करोड़ मात्र)

अमानत राशि


₹40,00,000/-

(अक्षरे रुपये चालीस लाख मात्र)

नीलामी दिनांक
08-12-2011

नीलामी स्थल
आवासीय अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, अजमेर

समय
शुबह: 11.30 बजे



मुख्य विशेषतायें

- मुख्य रोड (गौरव पथ पर)।
- बैंक भवन परिसर का क्षेत्रफल 732.33 वर्ग मी.
- निर्मित क्षेत्रफल तलघर-800 वर्ग फीट @ 74.349 वर्ग मी. मूलत-1319 वर्ग फीट @ 122.583 वर्ग मी. प्रथमतल-860 वर्ग फीट @ 79.925 वर्ग मी.
- वैशाली नगर जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में।
- बस स्टेशन से दूरी 4 किमी.।
- प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर राज से मात्र 15 किमी. दूर।
- रेलवे स्टेशन से दूरी 5 किमी.।
- बैंक ऑफ बड़ौदा थाख्या वैशाली नगर के लगभग सामने।
- ख्वाजा की नगरी अजमेर में।

नियम एवं शर्तें:- 1. सभी बोली दाताओं को धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर के पक्ष में देय हो, जमा करवाने के पश्चात् ही नीलामी बोली में शामिल किया जायेगा। 2. नीलामी कम से कम तीन बोली दाताओं की उपस्थिति में ही की जावेगी अन्यथा नीलामी को निरस्त समझा जायेगा। 3. न्यूनतम बोली ₹4,00,00,000.00 अक्षरे चार करोड़ रुपये से प्रारम्भ की जावेगी। 4. नीलामी जहां है उसी है के आधार पर की जायेगी। 5. राजस्थान आवासन मण्डल को किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 6. उच्चतम बोली लगाने वाले दाता को उच्चतम बोली का 5 प्रतिशत, जिसमें धरोहर राशि समायोजित करते हुये, नीलामी पश्चात् उसी दिन सायं 6 बजे तक तथा 10 प्रतिशत राशि नीलामी के 72 घण्टे के अन्दर आवासीय अभियन्ता खण्ड अजमेर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियां बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर के नाम देय होगी, जमा करानी होगी। 7. आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन की अवधि में लीजमनी व ए.एस.सी. चार्ज के साथ 85 प्रतिशत बकाया राशि जमा करानी होगी। उक्त तिथि के पश्चात् जमा करवाने पर शास्ति एवं ब्याज नियमानुसार देय होगा। 8. लीज राशि 99 वर्ष के लिये आरक्षित दर पर प्रतिवर्ष वसूल की जायेगी। 9. ए.एस.सी. चार्ज 3 प्रतिशत सकल बोली राशि के अतिरिक्त देय होगा। 10. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात् ही भवन में तोड़-फोड़ की जा सकेगी एवं अन्य नियम अजमेर विकास प्राधिकरण भवन अधिनियम-2011 के अन्तर्गत होंगे। 11. नीलामी में बोली दाता के साथ एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जायेगा। 12. नीलामी के दौरान मोबाईल का प्रयोग निषेध है। 13. नीलामी बोली (1.00 लाख रुपये) के गुणक के रूप में ही स्वीकार की जायेगी। 14. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

आवासीय अभियन्ता, अजमेर